कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड रामगंजमण्डी, (जिला कोटा)

क्रमांक : २३५ दिनांक: ०४/०७/२०२२

श्रीमान उपवन संरक्षक
कोटा

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सलावदखुर्द से बड़ौदिया आंतरी सड़क निर्माण हेतु 4.896 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक एफ( )वउस/तक/2017/10862–64 दिनांक 11.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक को लिखते हुए इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उक्त आलोच्य प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवाऊ परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली पत्रांक 8बी/राज./06/33/2008/एफ.सी./819 दिनांक 18.09.2015 के अनुसरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक 162 दिनांक 11.05.2009 की पालना नही होने में 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मांगदर्शिका के पेरा 4.2(I) एवं (II) के तहत उक्त प्रस्ताव को बन्द/निरस्त कर दिया गया है।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज./106/33/2008/एफ.सी./162 दिनांक 11.05.2009 के तहत उक्त आलोच्य प्रस्ताव की निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की गई थी जिसकी विभाग द्वारा बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है।

क्र.सं.	अधिरोपित शर्ते	मॉग राशि का आधार यथा क्षैत्रफल दर आदि एवं राशि	विशेष विवरण
1	प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 4.896 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित)	4.896 Ha. @145925/- = Rs. 714449/-	राशि रू. 5701429/– केम्पा फण्ड में निम्नानुसार जमा करायी जा चुकी है। (1) कुल राशि रू. 4287269/– चैक संख्या 309436 दिनांक 22.03.2010 दिनांक 25.03.2010 कारपोरेशन बैंक केम्पा फण्ड में जमा। (2) कुल राशि रू. 574553/– चैक सं. 312446 दिनांक 30.01.2012 दिनांक 30.01.2012 को केम्पा फण्ड कॉरपोरेशन बैंक में जमा कराया गया। (3) कुल राशि रू. 13847223/– केम्पा फण्ड नई दिल्ली को दिनांक 31.03.2016 को जमा डी.डी. सं0 450711 दिनांक 31.03.2016 में इस परियोजना की राशि रू. 697573/– रूपये सम्मिलित है जिसको कॉरपोरेशन बैंक जयपुर में दिनांक 04.04.2016 का समाशोधन हेतु जमा कराया
2	माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 30,64,896/– 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) निर्धारित राशि /626000/– रूपये प्रति है0	4.896 Ha. @626000/- = Rs. 3064896/-	
3	प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थान (5 है. क्षेत्र) पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धन (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) राशि।	रू. 729625/–	
4	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने 9.792 है0 अवनत वन भूमि पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि।	9.792 Ha @121779/- = Rs. 1192459/-	

Scanned with CamScanner

			गया। (4) दिनांक 25.03.2017 को जमा की गई 1532598/– रूपये में इस परियोजना की अंतर राशि भी 142479/– रूपये सम्मिलित है।
	कुल योग	= Rs. 5701429/-	
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोतरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि अदा करने के लिए अन्डर टेंकिग		नवीन अन्डर टेंकिन पत्र प्रस्तुत करदी गई है।
6	5. भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफसी/दिनांक 05.09. 2007 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सीए 1581 कापोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक II भूतल सीजीओ काम्पलैक्स, फेज–I लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा कराया जावे।		समस्त राशि जमा करायी जा चुकी है।
7	भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी जावेगी तथा इसका वर्णन उनकी सर्विस पुस्तिका में किया जायेगा ओर उसकी एक प्रतिलिपी इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावेगी।		भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी अधिकारी तत्कालीन अधिशााषी अभियन्ता श्री आर.एस. झंवर तथा तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री आर.पी. गोयल सेवानिवृत हो चुके है। आर.के.मीणा तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता उक्त वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नही है चूंकि उक्त सड़क निर्माण कार्य का कार्यादेश तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता श्री आर. एस. झंवर द्वारा जारी किया गया तथा कार्य संम्पादन भी तत्कालीन पदस्थापित सहायक अभियन्ता द्वारा करवाया गया था। जबकि तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता आर.के.मीणा को वृत कार्यालय के पत्रांक 3315 दिनांक 19.07.2012 के द्वारा चेतावनी दी जा चुकी है।

Scanned with CamScanner

उक्त सड़क निर्माण में वन भूमि के बदले गैर वन भूमि ग्राम सलावद कलां में आपके विभाग को पूर्व में दी जा चुकी है एवं अधिरोपित शर्तो के अनुसार राशि रू. 5701429/— उपरोक्तानुसार आपके विभाग को दी जा चुकी है।

उक्त सड़क निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायीं अधिकारी सेवा निवृत्त होने से उक्त प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक जनहितार्थ सड़क निर्माण की अनुमति दिलाने का श्रम करें।

उक्त सड़क निर्माण में वन भूमि प्रत्यावर्तन की सैधान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालना पूर्व में श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 वृत कोटा द्वारा दिनांक 22.05.2014 के द्वारा भिजवायी जा चुकी थी (प्रति संलग्न है)

अतः सभी शर्तो की बिन्दुवार पालना की जा चुकी है इसलिए आप द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मांग दर्शिका के तहत उक्त प्रकरण बन्द/निरस्त किया गया है। उस पर पुनर्विचार कर तत्काल आवश्यक स्वीकृति जारी किया जाने का श्रम करें ताकि जनहितार्थ सड़क निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सके।

(आर.के.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0खण्ड रामगंजमण्डी
दिनांकः

क्रमांक :

प्रतिलिपी श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 वृत कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(आर.के.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0खण्ड रामगंजमण्डी

Scanned with CamScanner

—: कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा। :—

(Nayapura, Civil Lines Kota Tel / Fax No. 0744-2322747 Email ID-dcf.kota.forest@rajasthan.gov.in—

क्रमांक एफ( )वन संरक्षण / उपसं / 2013—14 / दिनांक :

प्रेषित :—

अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
जिला खण्ड रामगंजमण्डी,
जिला कोटा (राज0)।

विषय :— प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सलावद खुर्द से बडोदियां आंतरी सड़क निर्माण हेतु 4.896 हैक्टर वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :— भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी / राज. / 06 / 33 / 2008 / एफ.सी. / 162 दि0 11.5.2009 अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. जयपुर के पृष्ठांकित पत्र क्रमांक एफ 14( )2013 / एफ.सी.ए / प्रमुवसं / 7972—78 दिनांक 2.9.2013, एवं संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा का पत्र क्रमांक एफ ( )संमुवस / वन संरक्षण / 9082—85 दिनांक 9.09.2013

विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्रांक 8 बी / राज0 / 06 / 33 / 2008 / एफ.सी. / 162 दिनांक 11.05.2009 द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुरूप प्रकरण में अन्य पालना के साथ साथ अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, (एफ.सी.ए.) राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 14 ( ) 2007 / कोटा / वसु / प्रमुवसं / 5201 दिनांक 22.06.2012 के निर्देशानुसार अनुपालना की जानी है। (छाया प्रति संलग्न है) भारत सरकार के पत्र दिनांक 11.05.2009 में अधिरोपित शर्त संख्या 7 (सम्बधित दोषियो को कडी चेतावनी एवं उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज नोट की जेरॉक्स प्रतिलिपि) की अनुपालना आवश्यक रूप से की जानी अनिवार्य है। उपरोक्त के साथ ही प्रस्ताव में यूजर एजेन्सी की ओर से दी गई अण्डर टेकिंग के अनुरूप में श्रमिक दरो में बढोतरी होने पर अतिरिक्त / अन्तरीय राशि अदा करने के लिए प्रस्ताव में दी गई अण्डर टेंकिंग के अनुरूप वर्तमान श्रमिक दर रूपये 166 / — प्रतिदिन दिनांक 01.01.2013 से लागू किये जाने के पश्चात पुनः संशोधित डिमाण्ड नोट (मांगपत्र) निम्नानुसार जारी किया जाता है।

शर्त संख्या	अधिरोपित शर्तों का विवरण	वर्तमान प्रचलित दर दिनांक 01.01.2013 से रू0 166 / — अनुरूप से मांग की गई राशि	तत्समय प्रचलित दर रू0 135 / — अनुरूप पूर्व में जमा की गई राशि	अन्तरराशि जो जमा करवायी जाने हेतु शेष है।
1	2	3	4	5
1	प्रस्तावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 4.896 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित)।	@ 1,29,200/- 4.896 Ha.XRs. 1,29,200 = Rs. 6,32,563	@ 90,200/- 4.896Ha.XRs. 90,200 = Rs. 4,41,619	Rs. 1,90,944
2	माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 30,64,896 / — 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V.) निर्धारित राशि @ 6,26,000/- रूपये प्रति है0 4.896 X Rs. 6,26,000 = Rs. 30,64,896	Rs. 30,64,896/-	Rs. 30,64,896/-	-
3	प्रस्तावित स्थल के आस—पास रिक्त पडे स्थान (5 हे. क्षेत्र) पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धन (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने	Rs. 8,04,200	Rs. 6,54,000	Rs. 1,50,200

Scanned with CamScanner

4	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरो में बढ़ोतरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि अदा करने के लिए अन्डर टेकिंग	नवीन अन्डर टेंकिंग पत्र प्रस्तुत करें।		
6	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने 9.792 है0 अकृष्य वन भूमि पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि।	@ 1,08,000/- 9.792 Ha.XRs. 1,08,000 =Rs. 10,57,536	@ 71,600/- 9.792Ha.XRs. 71,600 = Rs. 7,01,107	Rs. 3,56,429
7	भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी जावेगी तथा इसका वर्णन उनकी सर्विस पुस्तिका में किया जावेगा और उसकी एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावेगी।	निर्देशानुसार अनुपालना कर सर्विस पुस्तिका की प्रमाणित जेरोक्स प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।		
			TOTAL	Rs. 6,97,573

उक्तानुसार अन्तर राशि रू0 6,97,573/– अक्षरे छः लाख सतानवे हजार पॉच सौ तेहत्तर रूपये वन विभाग कोटा के पक्ष में कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार के उपक्रम) ब्लाक–II भूतल सी.पी.ओ. कॉम्पलेक्स फेज–I, लोधी रोड दिल्ली 110003 के यहां राजस्थान एकाउन्ट नम्बर 037100101025225 में इसी वित्तीय वर्ष में जमा करवाकर (जमा की रसीद) इस कार्यलय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

शर्त संख्या–7 की पालना हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के दोषी अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन करने की कड़ी चेतावनी दर्ज कर, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ताकि भारत सरकार की अनिवार्य शर्त की पालना हो सके। सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं कराने की दशा में आपको भी वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन में सहयोगी माना जाकर आपके विरूद्ध भी कार्यवाही की जावेगी। कृपया सूचित होवें।

अतः उपरोक्तानुसार सभी शर्तो की अनुपालना अविलम्ब सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

(एल.एल. परमार)
उप वन संरक्षक,
कोटा।

क्रमांक एफ( )वन संरक्षण/उवसं/2013–14/ 871-77
दिनांक : 17-1-14

प्रतिलिपि उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01– अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
02– संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
03– अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण वृत, कोटा को पृष्ठांकित कर लेख है कि, शर्त संख्या–7 के अनुरूप संबंधित दोषी अधिकारियों की सेवापुस्तिका में निर्देशानुसार इन्द्राज अंकित करवाना सुनिश्चित करावें। उक्त कार्यवाही के अभाव में अंतिम स्वीकृति में विलम्ब के लिए यूजर ऐजेन्सी जिम्मेवार होगी। शर्त संख्या–7 की अनुपालना नहीं होने की दशा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियंत्रणाधिकारियों/उच्च अधिकारियों के विरूद्ध भी वन विभाग द्वारा राज्य सरकार को लिखा जा रहा हैं।
04– अधीशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड कोटा/सांगोद।
05– सहायक वन संरक्षक, कोटा।
06– क्षेत्रीय वन अधिकारी, मोड़क।
07– लेखा शाखा।

(एल.एल. परमार)
उप वन संरक्षक,
कोटा।

D:\Technic\A.K.S - K.D.C

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
क्रमांक 181
दिनांक 20-1-14

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सां० निं० वि० वृत कोटा (111)

उप वन संरक्षक क्षेत्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) लखनऊ का पत्रांक 8 बी/राज0/06/33/2008/एफसी/162 दिनांक 11.05.2009 एवम् उपवन संरक्षक कोटा पत्रांक एफ () वन संरक्षण/सवरां/2013-14/870 दिनांक 17.01.2014 की पालना रिपोर्ट

क्रम सं0	शर्ते	वर्तमान प्रचलित दर दिनांक 01.01.2013 से रू 166/– अनुरूप से मांग की गई राशि	प्रचलित दर रू. 135/– अनुरूप पूर्व में जमा की गई राशि	अन्तर राशि जो जमा करवायी जाने हेतु शेष है
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर अर्थात 4. ... पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा किया जावेगा।	@ 1,29,200/- 4.896 Ha.X Rs 1,29,200 6,32,563	@ 90,200/- 4.896 Ha.X Rs 90,200=4,41,619	1,90,944 /- मुख्य अभियन्ता कार्यालय से स्वीकृति व बजट प्राप्त होते ही राशि जमा करा दी जावेगी।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपीटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आईए संख्या 566 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी।	Rs 30,64,896/-	Rs 30,64,896/-	-
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थान पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा करेगा।	Rs 8,04,200	Rs 6,54,000	Rs 1,50,200/- मुख्य अभियन्ता कार्यालय से स्वीकृति व बजट प्राप्त होते ही राशि जमा करा दी जावेगी।
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों का पुनर्वलाकन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण से यह अण्डर टेकिंग भी ली जाये कि अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढौतरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तारीय राशि अदा करने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण बाध्य होगी।	नवीन अन्डर टेकिग संलग्न है।		
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के बिना पूर्व अनुमति के वन भूमि का उपयोग किया गया है। अतः वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लघंन फलस्वरूप प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने अर्थात 9.792 हैक्टर अवनत वन भूमि पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं	@ 1,08,000/- 9.792 Ha.X Rs 1,08,000=10,57,536	@ 71,600/- 9.792 Ha.X Rs 71,600=7,01,107	Rs 3,56,429/- मुख्य अभियन्ता कार्यालय से स्वीकृति व बजट प्राप्त होते ही राशि जमा करा दी जावेगी।

Scanned with CamScanner

	रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा किया जावेगा।			
	भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफसी दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सीए-1581, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक II भूतल सीजीओ काम्पलैक्स, फेज-I, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाये।	कुल राशि 4287269/- चैक संख्या 309436 दिनांक 22.03.2010 कारपोरेशन बैंक कोटा में दिनांक 25.03.2010 को जमा करवाया।		
7	भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को कडी चेतावनी दी जायेगी तथा इसका वर्णन उनकी सर्विस पुस्तिका में किया जावेगा और उसकी एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावेगी।	भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों में एक अधिकारी श्री आर0पी0 गोयल सहायक अभियन्ता की सेवानिवृति हो चुकी है तथा दूसरा श्री आर0के0 मीणा कनिष्ठ अभियन्ता (वर्तमान सहायक अभियन्ता) उपखण्ड प्रथम रामगंजमण्डी में पदस्थापित है। दोनों अधिकारियों के विरूद्ध माननीय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी (कोटा के समक्ष) दिनांक 12.03.2008 को प्रकरण कोर्ट चालान किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 20.07.2013 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा दिया गया (प्रति संलग्न) श्री आर0के0 मीणा सहायक अभियन्ता प्रथम रामगंजमण्डी को इस कार्यालय के पत्रांक 3315 दिनांक 19.07.2012 द्वारा चेतावनी पत्र जारी किया गया है। प्रति संलग्न है।		
	TOTAL	5559195	4861622	697573

भवदीय

22-5-14

(बी.डी.माहेश्वरी)

अधीक्षण अभियन्ता,

सा0नि0वि0 वृत कोटा

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 वृत कोटा

(114)

क्रमांक :

दिनांक :

श्री आर0के0मीणा
सहायक अभियन्ता
उपखण्ड प्रथम रामगंजमण्डी

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत सलावद खुर्द से वडौदिया आंतरी सडक निर्माण हेतु 4.896 हैक्टर वन भूमि का प्रत्यावर्तन ।

महोदय,

उक्त सडक निर्माण कार्य में आपके द्वारा भारतीय वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन किया गया है। अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप भविष्य में वन क्षेत्र में आ रही सडकों का निर्माण वन विभाग की अनुमति के बिना नहीं करावें।

भवदीय
15-7-12
(वी0डी0 माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता
सा0नि0वि0 वृत कोटा

क्रमांकः 3315 दिनांक 19.7.12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 जिलाखण्ड सांगोद ।
2. अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 खण्ड रामगंजमण्डी ।

19-7-12
(वी0डी0 माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता
सा0नि0वि0 वृत कोटा
19-7-12

Scanned with CamScanner